संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 04-04-2021**

आज दिनांक 04.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़खानी करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 105/21 धारा 354(क)/323/452/506 भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता राजन पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी रीठीजोत थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.03.2021 को वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी व जानमाल की धमकी दिया गया था । जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 04.04.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री गयासुद्दीन खाँ, का0 लक्ष्मण सिद्धार्थ ।

संतकबीरनगर पुलिस

थाना बखिरा पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 101/21 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पास्को एक्ट तथा 3(2)(V) / 3(1)(w)(ii) एससी/ एसटी एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता अनिरुद्ध चौधरी उर्फ अंगूरे पुत्र राघव चौधरी निवासी काबर कबरी थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.03.2021 को वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ शौच जाते समय दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी । जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 04.04.2021 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजाराम यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त व मारपीट में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत परसौनिया से इवेन्ट संख्या 10394 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा दोनों पक्षों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पातल पहुंचाकर उनकी जान बची गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 इन्द्रजीत यादव, आ0 पुरुषोत्तम राय, हो0चा0 महेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनो से 54500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनो से 54500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।